निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 भाद्र 1937 (श0)

(सं0 पटना 1019) पटना, सोमवार, 7 सितम्बर 2015

सं0 वन्य प्राणी–02 / 2002—421(ई0) / प0व0

पर्यावरण एवं वन विभाग

————————

संकल्प

5 सितम्बर 2015

विषयः–जंगली जानवरों द्वारा जान–माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राशि के भुगतान के संबंध में।

वनों में और वनों के आस–पास रहने वाले लोगों और पशुधन को जंगली जानवरों द्वारा आकस्मिक रूप से पहुँचाये जानेवाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए मानव जीवन को पहुँचाई गई क्षति तथा पशुधन सहित सम्पत्ति को पहुँचाई गई क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार के स्वीकृत्यादेश संख्या–वन्यप्राणी–02 / 2002–245 (ई०) दिनांक 08.05.2013 को संशोधित करते हुए राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जंगली जानवरों द्वारा आम लोगों को जान–माल (पशुधन सहित सम्पत्ति) को पहुँचाई गई विभिन्न किस्मों की क्षति की स्थिति में पूर्व से निर्गत विभागीय संकल्प सं0–201(ई0), दिनांक 21.03.2012 द्वारा निरूपित प्रक्रिया के तहत पहुँचाई गई क्षति के विरूद्ध प्रभावित व्यक्तियों / उनके आश्रितों को निम्न प्रकार से निर्धारित दर के अनुसार सहाय्य राशि का भुगतान किया जाएगा।

क्र० सं०	क्षति का प्रकार	सहाय्य राशि
i	मनुष्य की मृत्यु अथवा स्थाई अक्षमता पर	5,00,000 / –
ii	मनुष्य की गहरी चोट पर	72,000 / –
iii	मनुष्य की हल्की चोट या घायल होने पर	12,000 / –
iv	मकान बर्बादी	
	क. पक्का मकान (पूर्ण रूप से नष्ट)	48,000 / –
	ख. मिट्टी की दीवार पर खपड़ा या कोरेगेटेड शीट की छत वाली मकान (पूर्ण रूप से नष्ट)	24,000 / –
	ग. पक्का मकान (गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त)	24,000 / –
	घ. कच्चा मकान (गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त)	12,000 / –
	ड. साधारण रूप से क्षतिग्रस्त मकान	6,000 / –
v	भैंस, गाय, बैल की मृत्यु होने पर	12,000 / –

क्र० सं०	क्षति का प्रकार	सहाय्य राशि
vi	भेड़, बकरा की मृत्यु होने पर	2,400/–
vii	बकरी की मृत्यु होने पर	3,600/–
viii	फसल नष्ट होने पर	25,000/–प्रति हेक्टेयर

2. जंगली जानवरों द्वारा किसी व्यक्ति या उसके मवेशियों को मारे जाने या उसके मकान की बर्बादी किये जाने का सत्यापन संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

3. फसल बर्बादी का सत्यापन संबंधित वनों के क्षेत्र पदाधिकारी एवं संबंधित अंचल निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। तत्पश्चात् संबंधित क्षेत्र पदाधिकारी संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी को तथा अंचल निरीक्षक अपना प्रतिवेदन अंचलाधिकारी, को समर्पित करेंगे। वन प्रमंडल पदाधिकारी अंचलाधिकारी की अनुशंसा प्राप्त कर विहित प्रणाली से भुगतान की व्यवस्था करेंगे।

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, फसल बर्बादी के लिए क्षतिपूर्ति की राशि हेतु 5000/– मात्र तक अपने स्तर से स्वीकृति दे सकेंगे। इसके अधिक की राशि का भुगतान आवश्यक होने पर अपने से एक स्तर ऊपर के पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ही स्वीकृति प्रदान कर सकेंगे।

5. नई मुआवजा की दरे संकल्प निर्गत होने की तिथि एवं उसके बाद के क्षति पर लागू होगी।

6. मुआवजे को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के अधीन बनाये गए विनियमों के अंतर्गत विनियमित किया जायेगा।

7. मुआवजे का भुगतान मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–001 निदेशन तथा प्रशासन, मांग संख्या–19 उप शीर्ष–0001 निदेशन और प्रशासन विपत्र कोड–N2406010010001 के विषय शीर्ष–3302 मुआवजा से किया जायेगा।

आदेश:–आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रत्नेश झा,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1019-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in